

# नव्या नोवाल

पुर्वेली थारू भाषा  
वि.सं. २०७२ साल मंसिर ११ गते शुक्रबार

## हमर संविधान समावेशी संविधान

## नेपाल सरकार कानून व्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय द्वारा प्रायोजित पुर्वली थारु भाषामे संविधानके मूलभूत प्रावधान

१. नेपालके संविधानमे आत्मसात करल मूल्य, मान्यता आर सिद्धान्त

  - नेपालके स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता आर स्वाभिमानक्या अक्षण राखना।
  - जनताके सार्वभौम अधिकार, स्वायतता आर स्वशासनके अधिकारक्या आत्मसात करना।
  - राष्ट्रहित, लोकतन्त्र आर अग्रगामी परिवर्तनको लग्ना भेल ऐतिहासिक जन आन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग आर बलिदानके स्मरण करतहै शहीद हे बेपत्ता आर पीडित नागरिक प्रति सम्मान प्रकट।
  - बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषताक्या आत्मसात करतहै विविधतावीचके एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता आर सद्भावके संरक्षण एवं प्रवर्द्धन।
  - वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद आर सभे प्रकारके जातीय छुवाछूतके खतम करिके आर्थिक समानता हे सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेलग्ना समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण।
  - जनताके प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष आर सक्षम न्यायपालिका हे कानूनी राज्यके अवधारणामे आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहीके समृद्ध राष्ट्र निर्माण करेलग्ना प्रतिवद्धुता।
  - संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाके माध्यमसे दिगो शान्ति, सुशासन, विकास आर समृद्धि करेके उद्देश्य।

२. प्रारम्भिक व्यवस्था

  - सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनतासे जारी करल संविधान नेपालके मूल कानून हेते।
  - संविधानस बाफल कानून बाफल हदतक अमान्य हेते।
  - संविधानके पालना करना प्रत्येक व्यक्तिके कर्तव्य हेते।
  - नेपालके सार्वभौमसत्ता आर राजकीयसत्ता नेपाली जनतामे निहित रहते।
  - बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामे रहल समान आकांक्षा आर नेपालके राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रहीके एकताके सूत्रमे आबद्ध राष्ट्रके रूपमे रहते।
  - नेपाल राष्ट्र स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हेते।
  - नेपालमे बोलल जैवाला सभे मातृभाषासब राष्ट्रभाषाके रूपमे रहते।
  - देवनागरी लिपिमे लिखिल जैवाला नेपाली भाषा नेपालके सरकारी कामकाजके भाषा हेते।
  - नेपाली भाषाके अतिरिक्त प्रदेश आपन प्रदेशभितर बहुसंख्यक जनतासे बोलल जैवाला आन राष्ट्रभाषाके प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशके सरकारी कामकाजके भाषा निर्धारण करल ज्या साकते।

३. नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान

  - कुनू भी नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त करैबाला हकसे विचित नय हेते।
  - प्रादेशिक पहिचान सहितके एकल संघीय नागरिकताके व्यवस्था करल जेते।
  - संविधान प्रारम्भ हेल बखत नेपालके नागरिकता प्राप्त करल व्यक्ति नेपालके नागरिक हेते।
  - वंशजके आधारमे नेपालके नागरिकता प्राप्त करैबाला व्यक्ति निजके पिता या माताके नामसे लैङ्गिक पहिचान सहितके नागरिकताके प्रमाणपत्र पैते।
  - नागरिकके परिचय खुलैके हिसाबसे अभिलेख राख्न जेते।
  - नेपाली नागरिकताके प्राप्त हैबाला अवस्था :-

४. वंशज

  - संविधान प्रारम्भ हेसे पहिना वंशजके नागरिकता प्राप्त करल व्यक्ति,
  - जन्म हैबखत कुनू व्यक्तिके बाप वा म्या नेपालके नागरिक रहल अवस्थामे बोन व्यक्ति,
  - संविधान प्रारम्भ हेसे पहिना बाप आर म्या दुवोफन जनमके आधारमे नेपालके नागरिकता प्राप्त करलके सन्तान बालिग हेलाके बाद,
  - नेपालभितर फेला परल पितृत्व आर मातृत्वके ठेगान नय हेल नाबालक निजके बाप वा म्या फेला नय पैरतैक,
  - नेपालके नागरिक म्यासे नेपालमे जन्मभ्याके नेपालमे हीं बसोबास करले आर बापके पहिचान नय हेल व्यक्ति,
  - मगर बाप विदेशी नागरिक ठहरलापर संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामे परिणत हेते,
  - विदेशी नागरिकसे विवाह करल नेपाली महिला नागरिकसे जनमभेल, निज नेपालमे हीं स्थायी बसोबास करिरहल निज विदेशी मुलुकके नागरिकता प्राप्त नय करलापर र नागरिकता प्राप्त करैके बखत निजके म्या आर बाप दुवो नेपाली नागरिक छेफन त नेपालमे जन्मल बोन व्यक्ति।

२. अंगीकृत नागरिकता

क. विदेशी नागरिक संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करैके बखत म्या आर बाप दुवो नेपाली नागरिक रहलापर वंशजके आधारमे नेपाली नागरिकता प्राप्त करैबाला राज्यालय सम्बन्धी व्यक्तिके नागरिकता व्यक्ति संघीय कानून बमोजिम

मगर नागरिकता प्राप्त करैके बखत म्या आर बाप दुवो नेपाली नागरिक रहलापर वंशजके आधारमे नेपाली नागरिकता प्राप्त करना।

३. सम्मानार्थ नागरिकता

  - संघीय कानून बमोजिम सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान करल ज्यासाकते।

४. गैर आवासीय नेपाली नागरिकता

  - विदेशी मुलुकके नागरिकता प्राप्त करल, सार्क बाहेकके मुलुकमे बसोबास करल, साविकमे वंशज वा जन्मके आधारमे निज वा निजके बाप वा म्या, दादा वा दादी नेपालके नागरिक रहीके बाद विदेशी नागरिकता प्राप्त करलाह व्यक्ति
  - संघीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक आर सांस्कृतिक अधिकार उपभोग करेला पैते

५. नेपालमे गाभल क्षेत्रमे बसोबास करैबाला व्यक्तिके नागरिकता

  - नेपालभितर गाभल जैवाला कुनू क्षेत्र प्राप्त हेलापर बोन क्षेत्रभितर बसोबास करैबाला व्यक्ति संघीय कानूनके अधीनमे रहीके नेपालके नागरिक हेते।

६. समानुपातिक समावेशी सम्बन्धी

नेपालके संविधान सभेके लागिन सम्मानपूर्वक बाचैपावैके हक, स्वतन्त्रताके हक, समानताके हक, सञ्चारके हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितके हक, यातना विरुद्धके हक, निवारक नजरबन्द

विरुद्धके हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धके हक, सम्पत्तिके हक, धार्मिक स्वतन्त्रताके हक, सूचनाके हक, गोपनीयताके हक, शोषण विरुद्धके हक, स्वच्छ बातावरणके हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिके हक, रोजगारीके हक, श्रमके हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, बालबालिकाके हक, दलितके हक, ज्येष्ठ नागरिकके हक, सामाजिक न्यायके हक, सामाजिक सुरक्षाके हक, उपभोक्ताके हक, देश निकाला विरुद्धके हक, संवैधानिक उपचारके हकक्या मौलिक हकके रूपमे स्थापित करल गेल छे। साथै, संवैधानिक निकायके रूपमे राष्ट्रिय समावेशी आयोगके व्यवस्था करल गेल छे।

येकर अतिरिक्त, महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग, सीमान्तीकृत समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भेद व्यक्ति, थारु आर मुस्लिमके सम्बन्धमे आर अधिकार देहाय बमोजिम रहल छे:

४.१ महिलाके अधिकार सम्बन्धमे

  - समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमे समतामूलक समाजके निर्माण करना
  - लैंगिक विभेद अन्त्य करना।
  - स्थाके नामसे नागरिकता प्राप्त करल ज्यासकते लगायतके नागरिकता सम्बन्धी विषय उपर नागरिकताके शीर्षक अन्तर्गत उल्लेख करल बमोजिम होना।
  - सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग या आर कुनू आधारमे भेदभाव नय करल जेते।
  - सामाजिक आर सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल महिला लगायत नागरिकता संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना।
  - महिलाक्या लैंगिक भेदभावविना समान वंशीय हक होना।
  - महिलाक्या सुरक्षित मातृत्व आर प्रजनन स्वास्थ्यके हक होना।
  - महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन या आर कुनू आधारमे शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक या आर कुनू किसिमके हिंसाजन्य कार्य या शोषण नय करल जेते आर यन कार्य दण्डनीय हेते तथा पीडित क्षतिपूर्ति पैते।
  - राज्यके सभे निकायमे महिलाके समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमे सहभागीता रहते।
  - महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आर सामाजिक सुरक्षामे सकारात्मक विभेदके आधारमे विशेष अवसर प्राप्त करते।
  - सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामे दम्पतीके समान हक हेते।
  - सामाजिक रूपसे पछाडि पारल महिला, सभे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे राज्यके निकायमे सहभागी हैला पावैके सामाजिक न्यायके हक हेते।
  - आर्थिक रूपसे विपन्न, अशक्त आर असहाय अवस्थामे रहल, असहाय एकल महिला सभे समाजिक सुरक्षा पावैके हक हेते।
  - मौलिक हक तथा मानव अधिकारके मूल्य आर मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित करैके राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते।
  - असहाय अवस्थामे रहल एकल महिलाक्या सीप, क्षमता आर योग्यताके आधारमे रोजगारीमे प्राथमिकता देतै हीं जीविकोपार्जनके लागिन सम्पूर्चित व्यवस करते।
  - जोखिममे परल, सामाजिक आर पारिवारिक विहिष्करणमे परल तथा हिंसाप्रति आधारमे विशेष अवसर प्राप्त करते।
  - प्रजनन अवस्थामे आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगके सुनिश्चितता करना।
  - बालबच्चाके पालन पोषण, परिवारके हेचाह जोखा काम आर योग्यावासक्या आर्थिक रूपमे मूल्यांकन करना।
  - मुक्त कम्हलरी, भूमीहीन, सुकूम्बासीसीसवके पहिचान करीक्या बसोबासके लागिन घर घेडेरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करैके पुनःस्थापना करना।
  - प्रार्थनिधि सभाके समानुपात्र आर उपराष्ट्रपति परक फरक फरक लिंग या समुदायके हेते।
  - प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनमे समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीके लागिन उम्मेदवारी देवेखिना महिलाक्या सभे समावेश करीके बन्दसूची तयार करना।
  - संघीय संसद आर प्रदेश सभामे निर्वाचित भेल कुल सदस्यके कम्तीमे एक तिहाड महिला सदस्य हेके हिसाबसे सुनिश्चित करल गेल छे।
  - राष्ट्रिय सभामे प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमे तीन भन महिला निर्वाचित हेते आर मनोनीत करैखिना कम्तीमे एक भन महिला समावेश करे पडते।
  - प्रतिनिधि सभाके सभामुख आर उपसभामुखमध्ये एक भन आर राष्ट्रिय सभाके अध्यक्ष आर उपाध्यक्षमध्ये एक भन महिला हेते।
  - प्रदेश सभामुख या प्रदेश उपसभामुख मध्ये एक भन महिला हेते।
  - गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकामे चार भन महिला सदस्य रहते।
  - जिल्ला सम्बन्ध नियमितमे कम्तीमे तीन भन महिला रहते।
  - गाउँपालिका आर नगरपालिकाके प्रत्येक वडासे कम्तीमे दुई भन महिलाके प्रतिनिधित्व हेके हिसाबसे गाउँसभा आर नगरसभाके गठन हेते।
  - राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक निकायके रूपमे रहते आर बोकर अध्यक्ष आर सदस्यसब महिला मात्र रहते।
  - राष्ट्रिय महिला आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमे कार्यालय स्थापना करल ज्या साकते।
  - नेपाली सेनामे महिलाके सभेके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमे करल जेते।
  - नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते।
  - संवैधानिक निकाय आर आन निकायके पदमे समावेशी सिद्धान्तके आधारमे नियुक्ति करल जेते।

४.२ दलितके अधिकार सम्बन्धमे

  - सभे प्रकारके जातीय छुवाछूतके अन्त्य करना।
  - सामाजिक न्याय सुनिश्चित करैबाला राज्यके राजनीतिक उद्देश्य हेते।
  - सामान्य कानूनके प्रयोगमे उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति या आन कुनू आधारमे भेदभाव नय करल जेते।
  - सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल महिला, दलित, लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लग्ना कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना।
  - कुनू व्यक्तिक्या उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय या शारीरिक अवस्थाके आधारमे कुनू निजी तथा सार्वजनिक स्थानमे कुनू प्रकारके छुवाछूत या भेदभाव नय करल जेते।
  - कुनू वस्तु, सेवा या सुविधा उत्पादन या वितरण करैखिना बोन वस्तु, सेवा या सुविधा कुनू खास जात या जातिके व्यक्तिक्या खरीद या प्राप्त

क्षेत्र आर समुदायभितरके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना।

ग्रामान्वित चिरचित् प्राणीयी जातेभित्र जातेवाला पर्याप्तिमि जगा आ-

- उत्पात्ति, जात, जाति या शास्त्रारक अवस्थाके आधारमें कुनू व्यक्ति या समुदायक्या उच्च या नीच दर्शविवाला, जात, जाति या छुवाछूतके आधारमें सामाजिक भेदभावक्या न्यायोचित ठानैवाला या छुवाछूत तथा जातीय उच्चता या धृणामे आधारित विचारके प्रचार प्रसार करना या जातीय विभेदक्या कुनू किसिसमें प्रोत्साहन करेला नय पैते।

जातीय आधारमें छुवाछूत करीके या नय करीके कार्यस्थलमें कुनू प्रकारके भेदभाव करेला नय पैते।

समै प्रकारके छुवाछूत तथा भेदभाव जान कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधके रूपमें दण्डनीय होते आर पीडित क्षतिपूर्ति पैते।

दलित राज्यके समै निकायमें समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तके आधारमें सहभागी हैला पैते।

दलित समुदाय आपन परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप आर प्रविधिके प्रयोग, संरक्षण आर विकास करेला पैते।

सार्वजनिक सेवा लगायतके रोजगारीके आन क्षेत्रमें दलित समुदायके सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व आर सहभागिताको लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते।

दलित विद्यार्थीक्या प्राथमिकसे उच्च शिक्षातक छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाके व्यवस्था करल जेते।

प्रविधिक आर व्यावसायिक उच्च शिक्षामें दलितके लागिन विशेष व्यवस्था करल जेते।

दलित समुदायक्या स्वास्थ्य आर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेला विशेष व्यवस्था करल जेते।

दलित समुदायके परम्परागत पेशासे सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमें उसवक्या प्राथमिकता देतै ह बोकर लागिन आवश्यक परेवाला सीप आर स्नोत उपलब्ध करेला जेते।

भूमिहीन दलितक्या एकदाफ जमीन उपलब्ध करेल जेते आर आवासविहीन दलितक्या बसोबासके व्यवस्था करल जेते।

दलित समुदायक्या प्राप्त सुविधा दलित महिला, पुरुष आर समै समुदायके दलित समानुपातिक रूपमें पावैके हिसावसे न्यायोचित वितरण करल जेते।

सामाजिक रूपसे पछाडि परल महिला, दलित समेत समावेशी सिद्धान्तके आधारमें राज्यके निकायमें सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक होते।

समाजमें विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममें हावैवाला समै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना।

हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीसवके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करीके पुनःस्थापना करना।

उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना।

सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करेखिना समै लिंग, क्षेत्र आर समुदायभित्रके आर्थिक रूपसे विपन्नक्या प्राथमिकता प्रदान करना।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हावैवाला प्रतिनिधि सभा आर प्रदेश सभाके निर्वाचनके लागिन राजनीतिक दल उमेदवारी देवैखिना समावेशी सिद्धान्तके आधारमें करना।

राष्ट्रिय सभामें प्रत्येक प्रदेशसे कम्तीमें एक फन दलित निर्वाचित करेला पडते।

गाड़ कार्यपालिकामें दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे गाड़ सभाद्वारा निर्वाचित हेल दुईफन सदस्य रहते।

नगर कार्यपालिकामें दलित या अल्पसंख्यक समुदायसे नगर सभाद्वारा निर्वाचित हेल तीनफन सदस्य रहते।

जिल्ला समन्वय समितिमें दलित या अल्पसंख्यकसे जिल्ला सभाद्वारा निर्वाचित हेल कम्तीमें एक फन सदस्य रहते।

राष्ट्रिय दलित आयोग संवैधानिक निकायके रूपमें रहते आर तकर अध्यक्ष आर सदस्यसव दलित मात्र रहते।

राष्ट्रिय दलित आयोग आवश्यकता अनुसार प्रदेशमें कार्यालय स्थापना करेला सकते।

नेपाली सेनामें दलित समेतके प्रवेश समानता आर समावेशी सिद्धान्तके आधारमें करल जेते।

नेपाली राजदूत आर विशेष प्रतिनिधि समावेशी सिद्धान्तके आधारमें नियुक्ति करल जेते।

संवैधानिक अंग आर निकायके पदमें समावेशी सिद्धान्तके आधारमें नियुक्ति करल जेते।

**३. मधेशीके अधिकार सम्बन्धमें**

सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेवाला राज्यके राजनीतिक उद्देश्य होते।

आर्थिक समानता, समृद्धि आर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेला समानुपातिक समावेशी आर सहभागितामूलक सिद्धान्तके आधारमें समतामूलक समाजके निर्माण करना।

सामान्य कानूनके प्रयोगमें उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, या आन कुनू आधारमें भेदभाव नय करल जेते।

सामाजिक या सांस्कृतिक दृष्टिसे पिछडल मधेशी लगायत नागरिकके संरक्षण, सशक्तीकरण या विकासके लागिन कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था करना।

नेपालमें बसोबास करेवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या कानून बमोजिम आपन मातृभाषामें शिक्षा पावैके आर बोकर लागिन विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोलेके आर सञ्चालन करैके हक होते।

नेपालमें बसोबास करेवाला प्रत्येक नेपाली समुदायक्या आपन भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सम्प्तता आर सम्पदाके संवर्धन आर संरक्षण करैके हक होते।

सामाजिक रूपसे पछाडि पडल मधेशी समेतक्या समावेशी सिद्धान्तके आधारमें राज्यके निकायमें सहभागी हावे पावैके सामाजिक न्यायके हक होते।

समाजमें विद्यमान धर्म, प्रथा, परम्परा, रीति तथा संस्कारके नाममें हावैवाला समै प्रकारके विभेद, असमानता, शोषण आर अन्यायके अन्त्य करना।

मधेशीक्या आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर आर लाभके समान वितरण तथा बोन समुदायभितरके विपन्न नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण आर विकासके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना।

हरवा, चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीसवके पहिचान करीके बसोबासके लागिन घर घडरी तथा जीविकोपार्जनके लागिन कृषियोग्य जमीन या रोजगारीके व्यवस्था करिके पुनःस्थापना करना।

उत्पीडित तथा पिछडल क्षेत्रके नागरिकके संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, विकास आर आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिके अवसर तथा लाभके लागिन विशेष व्यवस्था करना।

सामाजिक सुरक्षा आर सामाजिक न्याय प्रदान करेखिना समै लिंग,

2

